संख्या-2197/सैंतीस-2-2016-30(95)/2015

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन (गोण्डा),
फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, मीरजापुर, मेरठ,
सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बरेली,
आजमगढ़, झाँसी तथा बाँदा ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- 16 सितम्बर, 2016

विषयः- खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ0एम0डी0-सी0पी0) अंतर्गत एम0एम0डी0 टीकाकरण के सफल संचालन के संबंध में ।

महोदय,

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ0एम0डी0-सीपी) का 19वां चरण दिनांक 15.09.2016 से 18 मण्डलीय मुख्यालय के जनपदों यथा लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन (गोण्डा), फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, मीरजापुर, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, आजमगढ़, झाँसी तथा बाँदा में प्रारम्भ किया जाना है तथा यह कार्यक्रम दिनांक-01.10.2016 से प्रदेश के शेष जनपदों में चलाया जायेगा।

2- खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ0एम0डी0सी0पी0) के अंतर्गत गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का शतप्रतिशत टीकाकरण (04 माह से कम आयु के बच्चों को तथा 08 माह से अधिक गर्भित पशुओं को छोड़ते हुये) 45 दिनों में अभियान चलाकर किया जाना है। इस अभियान के समयबद्ध संचालन हेतु टीमों का गठन, प्रत्येक दिवस का रूट चार्ट एवं परिचालन हेतु वाहनों की व्यवस्था की जाती है। वैक्सीन को भण्डारण के स्थान से पशुओं के टीकाकरण स्थल तक पर्याप्त कोल्ड चेन में परिरक्षित किया जाता है। यह टीकाकरण अभियान प्रत्येक 06 माह के अन्तराल पर संचालित किया जाता है।

3- खुरपका-मुँहपका रोग पशुओं में तेजी से फैलने वाला विषाणुजनित रोग है, जिससे पशुओं की कार्य क्षमता पर तथा पशु उत्पादों यथा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, मॉस आदि का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होता है । वर्तमान में प्रदेश में कामधेनु/मिनी कामधेनु/माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश में अन्य प्रदेशों से दुधारू पशु लाये जा रहे हैं। अन्य प्रदेशों से लाये जाने वाले इन पशुओं को भी उक्त रोग निरोधक टीका लगाकर उन्हें रोगमुक्त बनाये रखने की आवश्यकता है, जिससे पशुओं में इस बीमारी के संक्रमण के फलस्वरूप उनकी मृत्यु दर को रोक कर पशुपालकों को आर्थिक क्षति से बचाया जा सके ।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस अभियान में आपका कुशल मार्गदर्शन, सक्रिय सहयोग तथा नेतृत्व आवश्यक है। इस संबंध में अपने मण्डल/जनपद के अपर निदेशक ग्रेड-2/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग के साथ प्रस्तावित अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर लें तथा अभियान के सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा भी करें । अभियान के दौरान तकनीकी रूप से दक्ष पशुपालन विभाग के कार्मिकों को अन्य ड्यूटी से मुक्त रखें तथा अपने जनपद में कम से कम 50 गांव में जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के अधिकारियों को

टीकाकरण के सत्यापन हेतु भी निर्देशित करें तथा जिलाधिकारी स्वयं एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगणों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के समय टीकाकरण की पुष्टि भी करना सुनिश्चित करें । इस संबंध में शासन के पत्र संख्या-2151/सैंतीस-2-2016-30(95)/2015 दिनांक-12.09.2016 के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन द्वारा भी आपको यथावश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं ।

भवदीय,

(पी0के0 महान्ति)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-2197(1)/सैंतीस-2-2016 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर निदेशक ग्रेड-2, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन (गोण्डा), फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, मीरजापुर, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, आजमगढ़, झाँसी तथा बाँदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर टीकाकरण अभियान को शतप्रतिशत सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करें ।

2- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/समस्त पशु चिकित्साधिकारी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन (गोण्डा), फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, मीरजापुर, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, आजमगढ़, झाँसी तथा बाँदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये अभियान को शतप्रतिशत सफल बनाना सुनिश्चित करें । यदि किसी भी अधिकारी की लापरवाही अथवा असहयोग से वैक्सीन नष्ट होती है अथवा कार्यक्रम के संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी का होगा, जिसके लिए गुणदोष के आधार पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

आज्ञा से,

16/9/16

(पी0के0 महान्ति)
प्रमुख सचिव ।

कार्यालय- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- 445/सा0-1/एक्स-160/एफ.एम.डी.-सी.पी./19वां चरण/2016-17, दिनांक:19-9-2016

खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ0एम0डी0-सी0पी0) कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-2197/सैतीस-2-2016-30(95)/2015 दिनांक 16.09.2016 की पृष्ठांकन प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, देवीपाटन मण्डल गोण्डा, फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, आजमगढ़, झांसी तथा बांदा।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, देवीपाटन मण्डल गोण्डा, फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, आजमगढ़, झांसी तथा बांदा।
4. उपायुक्त (एल0एच0), पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ।
6. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, देवीपाटन मण्डल गोण्डा, फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बरेली, आजमगढ़, झांसी तथा बांदा।
8. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, कैम्प कार्यालय लखनऊ।

(ए0एन0 सिंह)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र

F.M.D-C.P 2014-15--410